राजस्थान सरकार
निदेशालय, समेकित बाल विकास सेवाएँ
2 जलपथ, गांधी नगर, जयपुर

क्रमांक F 26(4)(51)Aadhar/IEC/ICDS/2015/ 32990-33327 जयपुर,दिनांक : 22-2-17

उप निदेशक,
महिला एवं बाल विकास विभाग,
समस्त

बाल विकास परियोजना अधिकारी,
समेकित बाल विकास सेवाएं,
समस्त

विषयः— पूरक पोषाहार प्राप्त करने वाले लाभार्थियों के आधार नामांकन दिनांक 31 मार्च, 2018 तक पूर्ण करने बाबत।

संदर्भः— विभागीय पत्र 168470—807 दिनांक 02.11.2017 एवं 173059—173396 दिनांक 08.11.2017

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं संदर्भित पत्र के क्रम में लेख है कि आप जानते है कि भारत सरकार द्वारा आईसीडीएस के रेपीड रिपोर्टिंग सिस्टम में पूरक पोषाहार लाभार्थियों आधार सिडींग प्लेटफार्म तैयार किया गया है। इसके माध्यम से आंगनबाडी केन्द्र के लाभार्थियों की नाम सूची तथा आधार नम्बर संबंधित आंगनबाडी केन्द्र के साथ सीडिंग हो सकेगी।

इस रेपीड रिपोर्टिंग सिस्टम में आईसीडीएस के समस्त पूरक पोषाहार लाभार्थियों का विवरण फिड किया जाना है। सभी महिला पर्यवेक्षक RRS Login ID में "Add Beneficiary" ऑपशन में जाकर आंगनबाडी केन्द्र का चयन करके लाभार्थियों के आधार कार्ड संबंधित विवरण को फिड किया जाना है। आधार सीडिंग करते समय निम्न बिन्दुओं का विशेष ध्यान रखा जावें।

1. आधार एक्ट के अनुसार लाभार्थियों का आधार नम्बर प्राप्त करने से पहले लाभार्थी की लिखित सहमति अनिवार्य है। संलग्न सहमति प्रारूप में सहमति प्राप्त करने के पश्चात ही आधार सीडिंग की जानी है। इस
2. सहमति पत्र की प्रतिलिपियां करके सभी कार्यकर्ताओं तक भिजवाया जावें, जहां से प्राप्त जानकारी संबंधित महिला पर्यवेक्षक द्वारा RRS MIS में फिड कराई जायेगी।
3. लाभार्थियों का आधार नम्बर तथा मोबाईल नम्बर उनकी निजी जानकारी है। अतः इसे किसी अन्य प्रयोजन से किसी साथ शेयर अथवा सार्वजनिक नहीं किया जा सकता है। अतः आधार कार्ड संबंधित विवरण को सीडीपीओं कार्यालय में सुरक्षित संधारित किया जावें।
4. जिन लाभार्थियों के पास आधार नम्बर उपलब्ध है (सूचना एवं प्रोद्यौगिक विभाग की सूचना के अनुसार लगभग 90 प्रतिशत व्यक्तियों के आधार बनाए जा चुके है)। उनकी डाटा फिडिंग प्राथमिकता से की जायेगी।
5. भारत सरकार ने आधार एक्ट 2016 की धारा—7 के अनुसार आधार नम्बर की अनिवार्यता की अंतिम तिथि 31.03.2018 कर दी गई है। यह छूट उन लाभार्थियों को देय होगी, जिनके पास आधार नम्बर नहीं है अथवा आधार कार्ड के लिए अपलाई नहीं किया गया है। उनके द्वारा वैकल्पिक परिचय दस्तावेजो का उपयोग किया जा सकता है।

6. जिन लाभार्थियों के पास आधार नम्बर नहीं बने है, उन लाभार्थियों को आधार कार्ड का महत्व बताते हुए कार्ड बनवाने में संबंधित महिला पर्यवेक्षक, आंगनबाडी कार्यकर्ता, सहायिका तथा आशा **सहयोगिनी** सहायता प्रदान करेगी। यह सुनिश्चित करें कि आधार **नम्बर** के अभाव में कोई **भी लाभार्थी** लाभ से वंचित न रहें।

7. इस कार्य की सप्ताहिक रूप से उप निदेशक, मबावि द्वारा समीक्षा की जावेंगी। दिनांक 31 मार्च, 2018 तक शत–प्रतिशत आधार सिडिंग तथा डेटा वेलिडेशन किया जाना है।

(शुचि शर्मा)
आयुक्त
समेकित बाल विकास सेवाएँ,
राजस्थान जयपुर

क्रमांक F 26(4)(51)Aadhar/IEC/ICDS/2015/ 33328-332 जयपुर,दिनांक : 22-2-18

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. सचिव, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के अ.शा. पत्र दिनांक 01.01.2018 के क्रम में सूचनार्थ।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, महिला एपं बाल विकास विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक, समेकित बाल विकास सेवाएं, राजस्थान जयपुर
4. अतिरिक्त निदेशक (पोषाहार), समेकित बाल विकास सेवाएं, राजस्थान जयपुर
5. एसीपी (उप निदेशक), मुख्यालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु ।

(बबीना भारद्वाज)
प्रभारी अधिकारी (आधार)/
एसीपी (उपनिदेशक)
समेकित बाल विकास सेवाएँ,
राजस्थान जयपुर